निक्षेप
(BAILMENT)
Part - I

साधारण भाषा में किसी भी प्रकार की सुपुर्दगी देने को निक्षेप (Bailment) कहते हैं। किन्तु वैधानिक भाषा में निक्षेप का तात्पर्य "एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से अधिकार (Possession) का हस्तांतरण किये जाने से है।"

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार " यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबन्ध पर माल सुपुर्द करता है कि उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल वापस कर दिया जायेगा अथवा उसके आदेशानुसार व्यवस्था (Disposed) कर दी जायेगी, तो ऐसे अनुबन्ध को निक्षेप-अनुबन्ध कहेंगे।

जो व्यक्ति माल की सुपुर्दगी करता है उसे निक्षेपी (Bailor) और जिस व्यक्ति को माल की सुपुर्दगी की जाती है उसे निक्षेपग्रहीता (Bailee) कहते हैं।

यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पहले से ही दूसरे व्यक्ति का माल है और वह उसे (माल को) निक्षेपग्रहीता के रूप में रखने का

अनुबन्ध करता है तो ऐसी स्थिति में वह 'निक्षेपकर्ता' बन जाता है और मालका स्वामी 'निक्षेपी' बन जाता है क्योंकि वह माल 'निक्षेप' के रूप में ~~ग~~ ग्रहण किया जाता था।

उदाहरण - A अपनी पुत्री का विवाह निश्चित करता है इस अवसर पर ~~स्वा~~ भोजन की व्यवस्था करना चाहता है। इसके लिए वह B से भोजन बनाने के लिए बर्तन लेता है। यहाँ पर B निक्षेपी है तथा ~~ब~~ A निक्षेपकर्ता है और बर्तन देने का अनुबन्ध निक्षेप का अनुबन्ध कहलायेगा।

निक्षेप अनुबन्ध के लक्षण या तत्व (Characteristics or Elements of Contract of Bailment)

निक्षेप अनुबन्ध के प्रमुख लक्षण या तत्व निम्नलिखित हैं —

1. माल के अधिकार का हस्तांतरण (Transfer of Possession of Goods) — निक्षेप के अन्तर्गत एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को माल के अधिकार का हस्तांतरण अवश्य होना चाहिए। यह हस्तांतरण वास्तविक (Actual) अथवा रचनात्मक (Constructive) सुपुर्दगी द्वारा हो सकता है। माल का वास्तविक हस्तांतरण करना वास्तविक सुपुर्दगी कहलाता है। यदि किसी पक्षकार के पास पहले से ही दूसरे पक्षकार का माल है तो वह रचनात्मक सुपुर्दगी कहलायेगा।

2. अस्थायी उद्देश्य (Temporary Purpose) – इसमें माल के अधिकार का हस्तांतरण किसी अस्थायी विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। इसके विपरीत, विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत माल का हस्तांतरण स्थायी रूप में होता है।

3. दो पक्षकारों का होना (Two Parties) – अन्य अनुबन्धों की तरह निक्षेप अनुबन्ध में दो पक्षकार होते हैं। जो माल सुपुर्द करता है वह 'निक्षेपी' कहलाता है और जिस व्यक्ति को वह हस्तांतरण होता है उसे 'निक्षेपगृहीता' कहते हैं।

4. माल को वापस पाने अथवा आदेशानुसार व्यवस्था किये जाने का अधिकार – माल के अधिकार का हस्तान्तरण इस शर्त पर किया जाता है कि विशिष्ट उद्देश्य के पूरा हो जाने के पश्चात माल के स्वामी को वापस कर दिया जायेगा अथवा आदेशानुसार जिसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

5. माल की सुपुर्दगी (Delivery of goods) – निक्षेप हमेशा माल की सुपुर्दगी का होता है। माल की सुपुर्दगी से तात्पर्य कब्जे में परिवर्तन से है न कि स्वामित्व के में परिवर्तन। जब तक माल की सुपुर्दगी नहीं होगी तब तक निक्षेप नहीं होगा। जब निक्षेप ही नहीं होगा तो निक्षेपगृहीता को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

6. स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं (Ownership is not transferred) — निक्षेप के अनुबन्ध में केवल माल के अधिकार का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं। स्वामित्व तो हमेशा निक्षेपी के पास रहता है जिसके आधार पर ही वह माल को पुनः प्राप्त कर सकता है।

7. स्पष्ट अथवा गर्भित (Expressed or Implied) — निक्षेप का अनुबन्ध स्पष्ट या गर्भित हो सकता है।

8. माल के स्वरूप में परिवर्तन सम्भव (Change in the Shape of Goods Possible) — निक्षेप के अनुबन्ध में उसके स्वरूप में परिवर्तन होना सम्भव है। जैसे- A, B को अपनी मोटर मरम्मत करने रंग-रोगन करने तथा उसकी सीटें पलटने के लिए देता है। यहाँ पर ~~[illegible]~~ B जिस समय सभी कार्य करके उसे लौटायेगा तो उसका स्वरूप निश्चित रूप से परिवर्तित होगा।

9. विद्यमान माल ही निक्षेप (Bailment of existing goods only) — निक्षेप केवल ऐसे माल का होता है जो कि निक्षेप के अनुबन्ध के समय विद्यमान हो। जो माल विद्यमान नहीं है उसका निक्षेप नहीं हो सकता है।

(Contd.)